अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 17 /2023

08

01.06.2023

राज्य

बनाम

संजय मछुवा, पिता स्व० योगेश्वर मछुवा, निवासी ग्राम–गांगो टोला कोईजानी गुडा, थाना तमाङ, जिला–राँची (झारखण्ड) ....विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 214/डी०सी०बी० दिनांक 28.02.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी संजय मछुवा, पिता स्व० योगेश्वर मछुवा, निवासी ग्राम–गांगो टोला कोईजानी गुडा, थाना तमाङ, जिला–राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. तमाड़ थाना काण्ड सं0–38/16 दिनांक–10.05.2016 धारा–498 (ए)/494/34 भा0द0वि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि०
2. तमाड़ थाना काण्ड सं0–92/16 दिनांक 02.12.2016 धारा–324/307/34 भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट
3. तमाड़ थाना काण्ड सं0–70/17 दिनांक– 11.09.2017 धारा 414 भा०द०वि० एंव 25 (बी०)/26/35 आर्म्स एक्ट
4. तमाड़ थाना दैनिकी सनहा सं० –30/23 दिनांक–10.02.2023
5. तमाड़ थाना दैनिकी सनहा सं० –20/23 दिनांक 12.02.2023

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक– 245/2023, दिनांक– 22.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी संजय मछुवा, पिता स्व० योगेश्वर मछुवा, निवासी ग्राम–गांगो टोला कोईजानी गुडा, थाना तमाड़, जिला–राँची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। इनका मुख्य पेशा लोक लूट, रंगदारी, मारपीट जैसे कई जघन्य घटनाओं को अंजाम देना है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी। इनके डर से कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर पाते है। इनके जेल से बाहर आने पर क्षेत्र में मारपीट, रंगदारी, लूट जैसे घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी उनके ऊपर लगाये गये सभी आरोपों में या तो वे जमानत पर बाहर है या पूरी तरह निर्दोष साबित हुए है। तमाड़ थाना कांड संख्या 38/16 लंबित है, जिसमे वे0 जमानत पर मुक्त है एवं न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त शर्तो का पूर्णतः अनुपालन कर रहे है। तमाड़ थाना काण्ड संख्या– 92/16 में विपक्षी पूर्णतः निर्दोष पाया गया है । तमाड़ थाना काण्ड संख्या– 70/17 में विपक्षी को अंतिम पुलिस प्रपत्र के आधार पर दोषमुक्त किया गया है एवं वर्तमान में न्यायालय से शशर्त जमानत पर है। तमाड़ थाना दैनिक सनहा सं०–30/23 एवं 20/23 क झूठा एवं निराधार है। विपक्षी मजदूरी एवं छोटे–मोटे व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहा है। उनपर व्यक्तिगत विवाद के कारण झूठा/गलत अरोप लगाकर फसाया गया है। विपक्षी की पत्नी एवं दो बच्चे हैं जिसमें एक बच्ची हमेशा बीमार रहती है और विपक्षी ईलाज के लिए अक्सर

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

बाहर रहता है। विपक्षी अपराधिक कृत्यों से सदा दूर रहते है । वे अपने परिवार का एकलौता कमाने वाला सदस्य है एवं अपने आर्थिक एवं पारिवारिक दायित्व को निभाने के लिए निरंतर श्रम करते रहते है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना में प्रतिदिन हाजिरी लगाना संभव नहीं है। विपक्षी किसी भी अपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं है और न ही भविष्य में संलिप्त होगा। विपक्षी यह भी वचन देते है कि वे अच्छे नागरिक की तरह कानून का अनुपालन करते हुए आवश्यकतानुसार पुलिस का सहयोग करेगा और भविष्य में किसी भी असमाजिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं होगा और नहीं ही किसी की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचायेगा। वे न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन हेतु तैयार है।।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा लूट–पाट, रंगदारी, मारपीट जैसे कई जघन्य घटनाओं को अंजाम देना है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी संजय मछुवा, पिता स्व० योगेश्वर मछुवा, निवासी ग्राम–गांगो टोला कोईजानी गुडा, थाना तमाङ, जिला–राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी संजय मछुवा, पिता स्व० योगेश्वर मछुवा, निवासी ग्राम–गांगो टोला कोईजानी गुडा, थाना तमाङ, जिला–राँची को दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक की अवधि के लिए तमाड़ थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक प्रत्येक रविवार तमाड़ थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी संजय मछुवा, पिता स्व० योगेश्वर मछुवा, निवासी ग्राम–गांगो टोला कोईजानी गुडा, थाना तमाड़, जिला–राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति संजय मछुवा, पिता स्व० योगेश्वर मछुवा, निवासी ग्राम–गांगो टोला कोईजानी गुडा, थाना तमाड़, जिला–राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी

राँची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी

राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 14:08:00 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d